

## महाराष्ट्र की पांच सीटों पर लड़े जा रहे हैं पांच महायुद्ध

### इन सीटों के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उलटफेर कर सकते हैं

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। जहाँ बुधवार को होने वाले मतदान तथा शनिवार को होने वाली मतगणना को लेकर, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुक्ति गठबन्धन का फोकस सत्ता में बने रहने पर है, वहीं महा विकास अघाडी गठबन्धन अपनी जबरदस्त वापसी की आशा सँजोये हुये है।  
महाराष्ट्र अपनी 288 सदस्यीय नई विधान सभा के 20 नवम्बर, बुधवार को होने वाले चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सदन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में के लिये प्रतिस्पर्धा में हैं, वहीं, उनके मित्रदल शिव सेना, शिव सेना (यू.बी.टी.), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) तथा एन.सी.पी. (एस.पी.) का फोकस अपनी जड़ें सुरक्षित रखने तथा मजबूत करने पर है।  
चुनाव-प्रचार के दौरान, सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी शामिल हैं, ने अपने-अपने प्रतिस्पर्धियों के लिये वोट

- पहली सीट है वर्ली, जहां से उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे मैदान में हैं, जिन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा चुनौती दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे 2019 में वर्ली से भारी मतों से जीत चुके हैं। तब उन्होंने एन.सी.पी. के सदीप माने को हराया था।
- दूसरा महायुद्ध बरामती में लड़ा जा रहा है। यहां पवार परिवार आमने सामने हैं। यहां अपने बागी भतीजे अजित पवार के सामने पवार ने अपने पौत्र युगेन्द्र पवार को टिकट दिया है। युगेन्द्र का सारा चुनाव प्रबंध शरद पवार खुद देख रहे हैं।
- तीसरी महत्वपूर्ण सीट है बांद्रा ईस्ट, जहां बाबा सिद्धीकी के बेटे तथा उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई के बीच कड़ा मुकाबला है। जीशान को अपने पिता की हत्या की वजह से सहानुभूति मिल रही है।
- चौथा महायुद्ध नागपुर साउथ वेंस्ट सीट पर है। यहां से उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस मैदान में हैं उनका मुकाबला कांग्रेस के स्थानीय और कदावर नेता प्रफुल्ल गुडाडे से है। पांचवा महायुद्ध कोपरी-पचपाखडी सीट पर देखा जा रहा है। जहां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मुकाबला केदार दिघे से है। केदार दिघे स्व. आनंद दिघे का भतीजा है जो शिंदे के राजनैतिक गुरु थाने।

माँगे हेतु पूरे राज्य के दौर किये हैं। विधान सभा की 288 सीटों में से सामान्य श्रेणी की 234 अनुसूचित जाति की 29 तथा अनुसूचित जनजाति की, 25 सीटें हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 7,078 वैध नामांकनों में से 2,938 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं तथा अब 4,140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।  
महाराष्ट्र पाँच सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीटों पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इनमें पहली है मुम्बई की हाई प्रोफाइल विधान सभा सीट वर्ली जहां त्रिकोणीय संघर्ष है। इस सीट पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना के मिलिन्द देवड़ा, शिव सेना (यू.बी.टी.) के आदित्य ठाकरे तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एम.एन.एस.) नेता सन्दीप देशपांडे के बीच कौंटे की लड़ाई है।  
दक्षिण मुम्बई से कांग्रेस के सांसद रहे मिलिन्द देवड़ा को शहरी मध्यम वर्ग के मतदाताओं का भरोसा है तथा इनके दम पर ही देवड़ा वर्ली सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। वे यू.पी.ए.-2 सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### आत्महत्या का कारण अभिभावकों का बच्चों पर सफलता का दबाव

जयपुर, 19 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के आए दिन आत्महत्या करने से जुड़े मामले में गंभीर मौखिक टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों की समस्या सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि वे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों से इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं। कई अभिभावक कहते हैं कि या तो पास हो जाना या वापस मत आना ऐसे में बच्चों पर सिस्टम के साथ ही अभिभावकों का भी भारी दबाव बना रहता है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी कोटा के कोचिंग सेंटर्स के विद्यार्थियों की ओर से आए

■ कोचिंग विद्यार्थियों की आये दिन आत्म हत्या पर हाईकोर्ट ने गंभीर मौखिक टिप्पणी की।

दिन आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंग पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद रखते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि गत मई माह में दिए निर्देशों की क्या पालना की गई। इसके अलावा राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि प्रदेश में कितने कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हैं।  
सुनवाई के दौरान महाविद्यालय राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के संबंध में राज्य सरकार कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल तैयार कर रही है। इसमें कोचिंग संस्थानों से भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## नई दिल्ली के हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश

### हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एक कम्पनी को 150 करोड़ रु. का एरियर नहीं देने के कारण यह आदेश दिया

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। सुखविंदर सिंह सुख्ख सरकार ने खुद को मुसीबत में डाल लिया है, हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है क्योंकि सरकार ने सेली हाइड्रोपावर इलैक्ट्रिकल कम्पनी का 150 करोड़ रु. का एरियर नहीं चुकाया है।  
सोमवार को पारित आदेश में जस्टिस अजय मोहन गोयल की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कम्पनी को आदेश दिया कि सेंट्रल दिल्ली के मंडी हाउस क्षेत्र में स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने की तैयारी करें। यह केस लाहौल स्पीति में 340 मेगावाट का प्लांट लगाने से सम्बंधित है।  
हाईकोर्ट के आदेश से सुख्ख सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं जो पहले से ही एक के बाद एक राजनैतिक संकट से जूझ रही है। गत दिनों तो ये अटकलें भी थीं कि सरकार गिर जाएगी क्योंकि कुछ विधायक भाजपा में जाने वाले थे लेकिन गत शनिवार मुकेश अग्निहोत्री ने ऐसी अटकलों को नकार दिया, हालांकि कहा कि भाजपा सरकार

- हिमाचल सरकार ने वर्ष 2009 में सैली हाइड्रोपावर इलैक्ट्रिकल कम्पनी को लाहौल स्पीति में 340 मेगावाट का प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट दिया। कम्पनी ने इसके लिए 64 करोड़ रु. का प्रीमियम राज्य सरकार को दिया था।
- प्रोजेक्ट फलीभूल नहीं हुआ तो राज्य सरकार ने न केवल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया बल्कि कम्पनी की प्रीमियम रकम जबरन करने के आदेश भी दे दिए।
- कम्पनी ने इस पर आर्बिटर के समक्ष अपील की जहां उसके पक्ष में फैसला आया और फिर हाईकोर्ट ने भी कम्पनी के पक्ष में फैसला सुनाया, साथ ही यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार पैसा न दे तो नई दिल्ली का हिमाचल भवन नीलाम कर दिया जाए।

को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। जहां तक वर्तमान केस का सवाल है हिमाचल सरकार ने कम्पनी को वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट दिया था और फर्म ने प्रोजेक्ट के लिए 64 करोड़ रु. का अप्रकंट प्रीमियम जमा करवाया था लेकिन प्रोजेक्ट फलीभूत नहीं हुआ बाद में राज्य सरकार ने आवंटन पत्र कैसिल कर अप फ्रंट प्रीमियम जबरन करने के आदेश भी दे दिए। कम्पनी ने आर्बिटर के समक्ष इस निर्णय को चुनौती दी, जिसने राज्य सरकार को मय ब्याज रकम लौटाने को कहा। चूंकि राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया तो कम्पनी ने आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बुधवार को ऊर्जा विभाग के प्री-समिट में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे

### कार्यक्रम को सी.एस. सुधांशु पंत, ए.सी.एस. ऊर्जा श्री आलोक, अक्षय ऊर्जा निगम अध्यक्ष आलोक गुप्ता व कई कंपनियों के प्रमुख सम्बोधित करेंगे

जयपुर, 19 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में बुधवार 20 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से होटल जयपुर मैरियट में "राइजिंग राजस्थान" के तहत ऊर्जा विभाग की ओर से प्री-समिट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्यमी एवं निवेशक तथा अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।  
ऊर्जा विभाग के प्री-समिट के उद्घाटन सत्र में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक स्वागत उद्घोषण देंगे। इसके पश्चात् सी.आई.आई., एन.टी.पी.सी., टाटा पावर, सिक्वोर मीटर, आइसोलेशन एनर्जी, सिमन्स एनर्जी, जे.एस.डब्ल्यू. एनर्जी, जी.ई. वेमावा इंडिया सहित अनेक सरकारी एवं प्राइवेट कम्पनियों के प्रमुख अपना उद्घोषण देंगे। साथ ही, प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी उद्घोषण देंगे। इसके बाद, एनर्जी सैक्टर

■ अति. मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक ने बताया कि प्री-समिट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व बायोमास ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों, जैसे एन.टी.पी.सी. टाटा पावर, सिक्वोर मीटर, आइसोलेशन एनर्जी, जी.ई. वेमावा इण्डिया शामिल होंगी।

में निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 'एम्पावरिंग राजस्थान: अनलॉकिंग द स्टेट एनर्जी पोटेन्शियल'

थीम पर आयोजित इस प्री-समिट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों, सी.आई.आई. एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनिवेश पोर्टल पर बड़ी संख्या में अक्षय ऊर्जा से संबंधित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि राजस्थान में निवेश के लिए निवेशकों में खासा उत्साह है। राजस्थान सरकार की यह नीति है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हर सम्भव कदम उठाकर ऊर्जा नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करें और हर नागरिक को इसके लाभों से जोड़ें।  
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### प्रेमिका की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद

जयपुर, 19 नवंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, सांगानेर ने प्रेमिका की हत्या करने वाले अभियुक्त नरसी मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।  
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ओ.पी. चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका के पिता ने 12 अक्टूबर, 2020

■ हत्या की रिपोर्ट मृतक के पिता ने 12 अक्टूबर 2020 को सांगानेर सदर थाने में दर्ज कराई थी।

को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी संगीता वर्मा करीब सवा साल से इंडियन ऑयल में टैकर चालक नरसी मीणा के साथ पत्नी की तरह रहती थी। सुबह करीब आठ बजे उसके बेटे के पास मकान मालिक का फोन आया कि संगीता का मर्डर हो गया है।  
रिपोर्ट में बताया गया कि रात के वक्त नरसी संगीता के कमरे पर गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'मोदी जी किस तिजोरी से पांच करोड़ आये, और किसने आपको टैम्पो में भेजे?'

### राहुल गाँधी ने प्र.मंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। जैसा कि विदित ही है, 2024 के आम चुनाव के दौरान प्र.मंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, कि राहुल गाँधी अब "दोस्ताना पूंजीवाद" (क्रोनी कैप्टलिज़्म) के बारे में चुप्पी साधे हैं, क्योंकि रुपये से भरे टैम्पो अब कांग्रेस के पास पहुंच गये हैं

**- डॉ. सतीश मिश्रा -**  
**- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**  
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के कथित "कैश-फॉर-वोट" मामले, जिसमें भाजपा नेता विनोद तावड़े लिपि हैं, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि जनता का यह पैसा किसने लूटा और "आपको टैम्पो में भेज दिया।"  
हितेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में बहुजन विकास अघाड़ी (बी.जी.ए.) के सदस्यों ने आज दावा किया कि तावड़े महाराष्ट्र में एक भाजपा प्रत्याशी को 5 करोड़ रु देने के लिए एक होटल में आये थे।  
राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा, "मोदी जी, ये 5 करोड़ किसकी

■ कांग्रेस का वर्तमान आरोप यह है कि भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने, विचार में स्थित होटल में, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, में पांच करोड़ रुपये दिये मतदाताओं में वितरण करने के लिए।  
■ भाजपा ने प्रत्युत्तर में कहा, चुनाव आयोग, इस आरोप की निष्पक्ष जांच करा ले। होटल के सी.सी.टी.वी. कैमरा व आसपास की सी.सी.टी.वी., कैमरा खंगाल ले चुनाव आयोग। पांच करोड़ रुपया कोई जेब में रखकर तो ला नहीं सकता, अगर तावड़े पैसा लाये होते तो किसी न किसी कैमरे में उनकी छवि पैसों के साथ कैद होती। अगर कांग्रेस के पास और कोई प्रमाण है, तो वह भी चुनाव आयोग के दायरे में लाये। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिना प्रमाण के कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है।

"तिजोरी" से आये थे? जनता का यह पैसा किसने लूटा और आपको टैम्पो में भेज दिया?"  
2024 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि "क्रोनी कैपिटलिज़्म" पर इसलिए चुप हैं क्योंकि रुपयों से भरे हुए टैम्पो पार्टी में पहुंच गये हैं। उस समय, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री अपने निजी अनुभव से बोल रहे थे।  
ठाकुर ने जोर देते हुए कहा है कि उन्हें भाजपा नेताओं से पैसे के कथित लेन-देन की सूचना मिली थी।  
उन्होंने कहा, "भाजपा के कुछ नेताओं ने मुझे सूचना दी कि भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रु. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### संसद सत्र से पहले 24 को सर्वदलीय बैठक

नयी दिल्ली 19 नवंबर। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को पारंपरिक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि बैठक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के परिप्रेक्ष्य में बुलाई गयी है।

■ संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर से शुरू हो रहा है और 20 दिसम्बर तक चलेगा।

उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। बैठक का उद्देश्य विपक्षी दलों को विधायी एजेंडे के बारे में जानकारी देना और बहस के लिए विषयों पर चर्चा करना है। इसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## न्यूक्लियर हमले के लिए रूस ने नई नीति, सिद्धांत प्रतिपादित किया

### इस नई "डॉक्ट्रिन" के अनुसार, अब रूस उन गैर न्यूक्लियर देशों पर भी न्यूक्लियर हमला करने के लिए स्वतंत्र है, अगर न्यूक्लियर हथियार युक्त देश, इस न्यूक्लियर विहीन देश की मदद कर रहे हों युद्ध में

**-अंजन रॉय-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। हमला करने के लिए मानो उन्हें किसी सिद्धांत की जरूरत थी, रूसी राष्ट्रपति तथा तानाशाह व्लादिमिर पुतिन ने तथा कथित रूसी परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया है। इसके बाद रूस उस नॉन न्यूक्लियर देश पर परमाणु हमला कर सकता है यदि उस देश को कोई ऐसा देश समर्थन दे रहा है जिसके पास परमाणु हथियार हैं।  
इससे यूरोप में परमाणु युद्ध तथा बड़ी आबादी के संहार का खतरा बढ़

■ हालांकि, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कहीं से भी, किसी भी राष्ट्र से समर्थन नहीं मिला है, यहां तक कि चीन, जो कि रूस को मित्र बताता रहा है, भी पुतिन की इस डॉक्ट्रिन का विरोध कर रहा है।  
■ इस उधेड़-बुन में, राष्ट्रपति पुतिन ने अचानक भारत की यात्रा का कार्यक्रम घोषित किया है। अब तक भारत ने इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है।  
■ भारत की दुविधा है, अगर पुतिन भारत आते हैं तो भारत को उन्हें गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ एक अन्तर्राष्ट्रीय वारंट जारी कर रखा है।  
■ पुतिन द्वारा अचानक नई न्यूक्लियर "डॉक्ट्रिन" जारी करने का तत्कालिक कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा यूक्रेन को अमेरिका के दूर मारक मिसाइल दागने की अनुमति दिया जाना है। इस स्वीकृति से हताहत रूस ने नई "न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन" जारी की।

गया है, चाहे यह वास्तविक हो या काल्पनिक। कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध एक नए स्तर पर पहुंच गया है, अब जबकि दोनों पक्ष एक गंभीर संघर्ष की

ओर बढ़ रहे हैं। भूमि पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन पहले ही अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग करके रूस के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूसी सैन्य प्रतिष्ठानों और डिपो पर सफल हमले किए हैं। उधर रूस ने घोषणा की है कि छः मिसाइलों में से पांच को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम (हवाई रक्षा प्रणाली) ने ध्वस्त कर दिया है।  
रूस के कुल प्रवक्ताओं ने जानकारी दी है कि रूसी सेना ने इन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस साल की सजा

जयपुर, 19 नवंबर। पाँचसो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नेमदीन खान को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने

■ अदालत ने कहा, अभियुक्त ने नाबालिग की सहमति से संबंध बनाये तो भी इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।  
अभियुक्त पर 2.24 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। यदि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)